न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 681 सन 2022
अनवान :–

1. सरजीत सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जमासिंह पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. बलविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
3. छिन्द्रपाल पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
4. शान्ति पत्नी जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
5. धनकौर पत्नी रणजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
6. सावित्री देवी पत्नी हरीसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

11. अंग्रेजसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
12. गुडडी पुत्री मुख्त्यारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
13. दलीपकोर पत्नी मुखत्यारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
14. हरनेक सिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
15. जसविन्द्रसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
16. सुखमन्दसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 17|6|2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 54 / 54 की कुल 3.8460हैक व खाता संख्या 140 / 142 की कुल 1.5180हैक व खाता संख्या 105 / 105 की कुल 2.7830हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता व पति जीतसिह व जगरासिह जो तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ,16 के पिता व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ,14 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का समझौता दिनांक 13.08.1999 को किया गया था उसी के अनुसार भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है

वाद भूमि जो सयुक्त खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से 1.02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 को बेचान कर दी गई है।

प्रतिवादी संख्या 12 जो तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,14 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवाादी संख्या 11 ,13 ,14 के पक्ष में किया जा चुका है।

वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता जीतसिह एवं जगराजसिह एवं मुखत्यारसिह के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जिसकी लिखा पढी दिनांक 13.8.1999 को कर ली गई थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव प्रतिवादी

ड अधिकारी
नोहर

संख्या 11 ता 16 अपने अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने बाहमी बटवारा में मिली भूमि में से 1.02 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 को बेचान की गई है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी एव प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 के कब्जा काश्त की भूमि में दखल दे रहे है इसलिये वादी सयुक्त खाता की भूमि का परिवारिक बाहमी बटवारा जो दिनांक 13.08.1999 को किया गया था के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,11 ता 16 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि जो मुश्तरका खाते में दर्ज है का बाहमी बटवारा दिनांक 13.08.1999 के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,11 ता 16 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ,11 ता 16 के पूर्वजों ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,11 ता 16 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 की कुल 3.8460हैक्टेयर व खाता संख्या 140/142 की कुल 1.5180हैक्टेयर व खाता संख्या 105/105 की कुल 2.7830हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता व पति जीतसिह व जगरासिह जो तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ,16 के पिता व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ,14 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का समझौता दिनांक 13.08.1999 को किया गया था उसी के अनुसार भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है

वाद भूमि जो सयुक्त खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से 1.02 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 को बेचान कर दी गई है।

वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता जीतसिह एवं जगराजसिह एवं मुखत्यारसिह के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जिसकी लिखा पढी दिनांक 13.8.1999 को कर ली गई थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 अपने अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने बाहमी बटवारा में मिली भूमि में से 1.02 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 को बेचान की गई है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी एव प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 के कब्जा काश्त की भूमि में दखल दे रहे है इसलिये वादी सयुक्त खाता की भूमि का परिवारिक बाहमी बटवारा जो दिनांक 13.08.1999 को किया गया था के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है।

खण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 की कुल 3.8460हैक्ट व खाता संख्या 140/142 की कुल 1.5180हैक्ट व खाता संख्या 105/105 की कुल 2.7830हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,11 ता 16 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 11 ,13 ,14 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 12 ने अपने हकों का त्याग प्रतिवादी संख्या 11 ,13 ,14 के पक्ष में किया हुआ है जिसे प्रतिवादी संख्या 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता जीतसिंह एवं जगराजसिह , मुखत्यारसिह, सरजीतसिंह जो आपसी में भाई है ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का मुश्तरका खाते में दर्ज का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा दिनांक 13.08.1999 को किया गया था जिसकी तहरीर भी गई थी वादी एव प्रतिवादीगण के पूर्वजो कें बाहमी बटवारा दिनांक 13.08.199 के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादीगण के पूर्वजों के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है तथा प्रस्तुत बाहमी बटवारा के अनुसार वादी एव प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा बाहमी बटवारा किया जाना भी साबित होता है पूर्व में किसी गये बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जात सकती है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से 1.02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 को बेचान किया गया था जो उनके नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि मे से 1.02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ,6 काबिज है जिसे उनके नाम दर्ज किये जाने पर वादी कोई एतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आये ना ही किसी प्रकार को विरोध प्रस्तुत किया गया हे अर्थात उक्त खाता विभाजन में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की मौन स्वीकृति है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,11 ता 16 के नाम तीन खातों मे मुश्तरका खाते में भूमि दर्ज है वाद में अकित सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता जीतसिंह , प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 के पूर्वज जगराजसिह , मुखत्यारसिह ने काश्त की सुविधा एव आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था जिसकी तहरीर भी दिनांक 13.08.199 को करवाई गई है जो पत्रावली में उपलब्ध है वादी दिनांक 13.08.1999 को किये गये बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसके सम्बध में प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 ने स्वीकार किया जा चुका है शेष रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आये है अर्थात बाहमी बटवारा के सम्बध में हुई लिखा पढी के सम्बध में कोई ऐतराज पेश नही हुआ है

मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपनी काश्त की सुविधा, सिचाई सुविधा आवागमन के रास्ते के मध्यनजर आपसी सहमति से मुश्तरका खाते की भूमि का बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

खण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 16 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 की कुल 3.846 है0 में से प0 नं0 319/384 (52) के किला नं. 25/1 की 0.051 है0 व प0 नं. 319/385 (59) के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8 के मिन उत्तर की 0.063 है0, 14/1 के मिन उत्तर पूर्व की 0.252 है0 15/1, 15/2, 16/1 के मिन उत्तर की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 के मिन उत्तर की 0.114 है0, 17/1 के मिन उत्तर पूर्व की 0.120 है0 कुल किता 18 का कुल क्षेत्रफल 2.131 है0 जिसमें 1.966 है0 बारानी प्रथम व 0.089 है0 गै0 मु0 रास्ता व 0.076 है0 गै0 मु0 खाला की भूमि को वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। व रोही मौजा 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 की कुल 3.846 है0 में से प0 नं0 319/385 (59) के किला नं. 8 की मिन दक्षिण 0.190 है0, 13 की 0.253 है, 16/2 के मिन मध्य की 0.013 है0, 17 के मिन मध्य की 0.013 है0, व 17 के मिन दक्षिण पश्चिम की 0.006 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार होंगे व खाता संख्या 140/142 की कुल 1.518 है0 में से प्रतिवादी संख्या 5 व 6 प्रत्येक का 3/32 हिस्सा यथावत व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार होंगे तथा रोही मौजा 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 की कुल 3.846है0 में से प0 नं0 319/385 (59) के किला नं. 16/1 के मिन दक्षिण की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 के मिन दक्षिण की 0.101 है0, 17 के मिन दक्षिण की 0.114 है0, 24 की 0.253 है0, 25/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता 25/2 की 0.228 है0, व खाता संख्या 105/105 के प0 नं0 319/386 (62) के किला नं. 4 के मिन उत्तर की 0.063 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.228 है0, 6/1 की 0. 026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर की 0.215 है0 प0 नं0 320/385 (58) के किला नं. 21 की 0.253 है0, प0 नं0 320/386 (63) के किला नं. 1 व 10 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल किता 14 का कुल क्षेत्रफल 2.049 है0 जिसमें 1.961 बारानी प्रथम व 0.088 है0 गै0 मु0 रास्ता भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 व 13, 14 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार होगें तथा व 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 के प0 नं0 319/385 (59) के किला नं. 22 व 23 प्रत्येक की 0.253 है0 व खाता संख्या 105/105 के प0 नं0 319/386 (62) के किला नं. 2 व 3 प्रत्येक की 0.253 है0, 4 के मिन दक्षिण की 0.190 है0, 6/2 के मिन दक्षिण 0.012 है0, 7, 8, 13 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल किता 9 का कुल क्षेत्रफल 1.973 है0 बारानी प्रथम की भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 व 16 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

नवान :–

1. सरजीत सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 जगासिंह पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. बलविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
3. छिन्द्रपाल पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
4. शान्ति पत्नी जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
5. धनकौर पत्नी रणजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
6. सावित्री देवी पत्नी हरीसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
8. भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
9. भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

11. अंग्रेजसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
12. गुडडी पुत्री मुख्त्यारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
13. दलीपकोर पत्नी मुखत्यारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
14. हरनेक सिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
15. जसविन्द्रसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा
16. सुखमन्दसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सुखलदी तहसील तलवण्डी जिला भटिण्डा

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 618 सन 2021 निर्णय दिनांक– 17/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 की कुल 3.846 है0 में से प0 नं0 319/384 (52) के किला नं. 25/1 की 0.051 है0 व प0 नं. 319/385 (59) के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8 के मिन उत्तर की 0.063 है0, 14/1 के मिन उत्तर पूर्व की 0.252 है0 15/1, 15/2, 16/1 के मिन उत्तर की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 के मिन उत्तर की 0.114 है0, 17/1 के मिन उत्तर पूर्व की 0.120 है0 कुल किता 18 का कुल क्षेत्रफल 2.131 है0 जिसमें 1.966 है0 बारानी प्रथम व 0.089 है0 गै0 मु0 रास्ता व 0.076 है0 गै0 मु0 खाला की भूमि को वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। व रोही मौजा 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 की कुल 3.846 है0 में से प0 नं0 319/385 (59) के किला नं. 8 की मिन दक्षिण 0.190 है0, 13 की 0.253 है, 16/2 के मिन मध्य की 0.013 है0, 17 के मिन मध्य की 0.013 है0, व 17 के मिन दक्षिण पश्चिम की 0.006 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार होंगे व खाता संख्या 140/142 की कुल 1.518 है0 में से प्रतिवादी संख्या 5 व 6 प्रत्येक का 3/32 हिस्सा यथावत व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार होंगे तथा रोही मौजा 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 की कुल 3.846है0 में से प0 नं0 319/385 (59) के किला नं. 16/1 के मिन दक्षिण की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 के मिन दक्षिण की 0.101 है0, 17 के मिन दक्षिण की 0.114 है0, 24 की 0.253 है0, 25/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता 25/2 की 0.228 है0, व खाता संख्या 105/105 के प0 नं0 319/386 (62) के किला नं. 4 के मिन उत्तर की 0.063 है0, 5/1 की 0.025 है0 ग0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.228 है0, 6/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर की 0.215 है0 प0 नं0 320/385 (58) के किला नं. 21 की 0.253 है0, प0 नं0 320/386 (63) के किला नं. 1 व 10 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल किता 14 का कुल क्षेत्रफल 2.049 है0 जिसमें 1.961 बारानी प्रथम व 0.088 है0 गै0 मु0 रास्ता भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 व 13, 14 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार होगें तथा व 13 केएनएन के खाता संख्या 54/54 के प0 नं0 319/385 (59) के किला नं. 22 व 23 प्रत्येक की 0.253 है0 व खाता संख्या 105/105 के प0 नं0 319/386 (62) के किला नं. 2 व 3 प्रत्येक की 0.253 है0, 4 के मिन दक्षिण की 0.190 है0, 6/2 के मिन दक्षिण 0.012 है0, 7, 8, 13 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल किता 9 का कुल क्षेत्रफल 1.973 है0 बारानी प्रथम की भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 व 16 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर